मध्य प्रदे1 1 1
म1जिक न्य1य विभ1ग 1
मंत्र1लय, भ`प1ल

क्र:1 54 /26–2/2013/ भ`प1ल, दि1 ंक 25.04.2013 1

प्रति, 1

. 1 **मस्त 1 ंभ1ग युक्त, मध्य प्रदे1 1**

2. 1 **मस्त कलेक्टर, मध्य प्रदे 1**

3. 1 **मस्त अ1युक्त 1**
 1 गर 1ि गम, मध्य प्रदे1 1

4. 1 **मस्त मुख्य क1र्यप1ल1 अधिक1री**
 1 जिल1 पंच1यत, मध्य प्रदे1 1

5. 1 **मस्त 1 ंयुक्त 1 ंच1लक/उप 1 ंच1लक 1**
 1 म1जिक न्य1य, मध्य प्रदे1 1

6. 1 **मस्त मुख्य क1र्यप1ल1 अधिक1री**
 1 ज1पद पंच1यत, मध्य प्रदे1 1

7. 1 **मस्त मुख्य 1गरप1लिक1 अधिक1री 1**
 1 गर प1लिक1/1गर परिषद, मध्य प्रदे1 1

1

विषय: इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1 पें1 (IGNOAPS) प्रथम ब1र स्वीकृति एवं1प्रद1य कर 1
इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय विधव1 पें1 य`ज1 (IGNWPS) प्रथम ब1र स्वीकृति एवं प्रद1य कर 1
इंदिर ग1ंधी र1ष्ट्रीय ि:1क्त पें1 य`ज1 (IGNDPS) प्रथम ब र स्वीकृति एवं1प्रद य के11 ंबंध में1

1

ंदर्भ:– ल`क 1 `व1 प्रबंध1 विभ1ग की अधि ूच1 क्रम1ंक 1एफ 1308–05–01–2010 1
दि1 ंक 24.09.201 में11 मिल 1 `व1 क्रम1ंक 7.2, 7.3 एवं 7.4 1

1

–0– 1

1

1 भ1रत 1 रक र, ग्र मीण विक1 मंत्र लय, ग्र मीण विक1 विभ1ग द्व र र ष्ट्रीय 1 म जिक 1 ह यत क र्यक्रम (NSAP) के1अंत1र्गत गरीबी रेख 1` 1िचे जीव1–य प1 1 कर1 1व ले1परिव रों1के1अ1र्थिक 1 ह1यत1 प्रद1य कर1 1के1उद्दे1य 1` इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1, विधव1 एवं 1ि:1क्त पें1 य`ज1 1 ंच1लित की ज1 रही है । य`ज1 अों क1 1 क्रिय1न्वय1 एवं 1 ंच1ल1 म0प्र0 1 , 1 म1जिक न्य1य विभ1ग द्व1र1 किय1 ज1 रह1 है। 1

1 भ1रत 1 रक र, ग्र मीण विक1 मंत्र1लय, ग्र1मीण विक1 विभ1ग के1क र्य1लयी ज्ञ प1 के11 म1 ंव्यक क्रम1ंक/जे–1 015/1/2012/ए1ए1एपी दि1 ंक 8 1 वम्बर 1 2012 के1द्व र र ष्ट्रीय 1 म1जिक 1 ह1यत1 क1र्यक्रम (NSAP) के1अंत1र्गत मौजूद पें1 1 य`ज अों1में1अ यु 1 ीम एवं1पें1 र 1ि के म पदण्डों1में1 1िम्1 ु1 र 1 ं `ध1 किय गय1 है :– 1

1

. इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1 पें1 य`ज1 (IGNOPS) 1

1

.1 प1त्रत1 के म1पदण्ड 1

- अ1वेदक (पुरूष अथव1 स्त्री) की अ1यु 60 वर्ष अथव1 इ1 ` अधिक की ह`1। 1
- अ1वेदक क`1 भ1रत 1 रक1र द्व1र1 1िर्ध1रित म1पदण्ड के अ1ु1 र गरीबी रेख 1 ` 1िचे1जीव1 ब1 र कर1 1व1ले1परिव1र 1 11 ंबंधित ह`1 च हिए।

1

.2 पें1 की र1ि 1

- 60 वर्ष 1`164 वर्ष तक अ1यु1के1हितग्र1हियों1क`1 प्रतिम1ह रु. 200 (केन्द्र1 1) की दर 1`1इंदिर ग1ंधी र ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1 पें1 प्रद1य की ज1ये। 1

- 65 वर्ष 1` 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों1क` प्रतिमाह रु. 275 की दर 1`1 पेंश1 प्रदाय की जाये,1 जि1 में1रु. 1200 1केन्द्रांश1 तथा1 रु. 175 राज्यांश1 ‍म्मिलित होगा1। 1
- 80 वर्ष अथवा इ1 `1 अधिक आयु1 के1 हितग्राहियों1 क` 1 प्रतिमाह रु. 500 (केन्द्रांश1) की दर 1` इंदिरा1 गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था1 पेंश1 प्रदाय की जाये। 1

.3 आवश्यक दस्तावेज 1

आयु1के1लिए ि म्1 लिखित में1 `1को`ई1एक

- स्कूल का1 प्रमाणपत्र/अंक ूची 1
- जन्म प्रमाणपत्र 1
- मतदाता 1 ूची
- स्वयं का1 मतदाता1 परिचयपत्र 1
- चिकित्1 क प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में 1` कोई दस्तावेज उपलब्ध 1हीं होने पर 1`टरी या प्रथम 1 श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा1 1 त्यापित आयु1के1 ंबंध1 में 1 पथ1 पत्र

.4 आवेदक के1प ोर्ट1 ईज के13 फोटोग्राफ 1

.5 आवेदन पत्र 1

- इंदिरा1 गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था1 पेंश1 योजना प्राप्त करने के लिए आवेदन 1 का1 प्रारुप परिशि ष्ट–1 1

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा1 पेंश1 योजना (IGNWPS)

2.1 पात्रता1 के मापदण्ड 1

- आवेदिका1 की आयु 40 वर्ष 1`179 वर्ष होगी। 1
- आवेदक को1 भारत 1 रकार द्वारा1 िर्धारित मापदण्ड के अ1ु1 र गरीबी रेखा 1 ` 1िचे1जीव1 ब1 र करने1वाले1परिवार का1 1 दस्य होना चाहिए।

2.2 पेंश1 की राशि 1

- विधवा महिला हितग्राही को1 प्रतिमाह रु. 300 की दर 1` पेंश1 केन्द्रांश1 1 मद 1`1प्रदाय की जावे। 1

1 2.3 आवश्यक दस्तावेज 1

आयु1के1लिए ि म्1 लिखित में1 `1को`ई1एक

- स्कूल का1 प्रमाणपत्र/अंक ूची 1
- जन्म प्रमाणपत्र 1
- मतदाता 1 ूची
- स्वयं का1 मतदाता1 परिचयपत्र 1
- चिकित्1 क प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में 1` कोई दस्तावेज उपलब्ध 1हीं होने पर 1`टरी या प्रथम 1 श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा1 1 त्यापित आयु1के1 ंबंध1 में 1 पथ1 पत्र

2.4 आवेदिका1 के1प ोर्ट1 ईज के13 फोटोग्राफ 1

1 2.5 विधवा1 के1लिए अतिरिक्त दस्तावेज

- पति की मृत्यु1का1 प्रमाण1 पत्र

1 **2.6 आवेदन पत्र** 1

- इंदिर गांधी राष्ट्रीय विधव पें1 योज1 प्राप्त करने1 के1 लिए अवेदन 1 का1 प्रारुप परिशिष्ट–1 1

3. इंदिर1 गांधी राष्ट्रीय ि:1 क्त पें1 योजन (IGNDPS) 1

1

3.1 पात्रता1 के मापदण्ड 1

- आवेदक की आयु 18 वर्ष 1`179 वर्ष होगी। 1
- आवेदक को1 भारत 1 रकार द्वार1 िर्धारित मापदण्ड के अ1ु1 र गरीबी रेखा 1 ` ीचे1 जीव1 ब1 र करने1 वाले1 परिवार 1 11 ंबंधित हो1 च हिए।
- ि:1 क्त व्यक्ति (1 म1 अव1 र, अधिकारों1 क ंरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1 अधिियम 1995 तथ1 द 1`1 ल ट्रस्ट फर वेलफेयर ऑफ प1`ि1 विथ आर्टिज्म, 1`रेब्रल 1पाल1ी, 1मेंटल 1रिटारडे1 1एण्ड 1मल्टीपल 1डि1`बिलिटी 1 एक्ट, 1999 के1 अ1ु1 र 80 प्रति1 त ि:1 क्तत एवं11 ीबीयर डि1`बिलिटी 1 हो1 चाहिए 1

1

3.2 पें1 की राि 1

- ि:1 क्त हितग्राही को1 प्रतिमाह रु. 300 की दर 1`1 पें1 केन्द्र11 मद 1` 1 प्रदाय की जावे1

3.3 आव1यक दस्तावेज 1

आयु1 के1 लिए ि म्1 लिखित में1 `1 कोई एक 1

- स्कूल का1 प्रमाण1 पत्र/अंक ूची 1
- जन्म प्रमाण1 पत्र 1
- मतदात 1 ूची
- स्वंय का1 मतदाता1 परिचयपत्र 1
- चिकित1 क प्रमाण1 पत्र
- उपरोक्त में1` कोई दस्तवेज उपलब्ध 1 हीं होने पर 1`टरी य प्रथम 1 श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वार1 1 त्यापित आयु1 के11 ंबंध1 में 1 पथ1 पत्र

1

3.4 आवेदक के1 प1 पोर्ट11 ईज 3 फोटोग्राफ

1

3.5 ि:1 क्तता1 पें1 के1 लिए अतिरिक्त दस्तावेज 1

- चिकित1 क द्वार1 जारी ि:1 क्तता1 का1 प्रमाण1 पत्र 1

3.6 आवेदन पत्र 1

- इंदिर1 गांधी राष्ट्रीय ि:1 क्त पें1 योजन1 प्राप्त करने1 के1 लिए अवेदन1 1 का1 प्रारुप परिशिष्ट–1 1

4. स्वीकृति हेतु1 प्राधिकृत अधिकारी 1

1

क्षेत्र 1	अधिकारी 1	मयावधि 1
(1)	(2)	(3)
ग्रामीण1 1 क्षेत्र 1 के लिए 1	मुख्य कार्यपाल1 अधिकारी, 1 जा1 पद पंचायत 1	60 कार्य दिव1 1
गरीय 1 क्षेत्र 1 के लिए 1	आयुक्त, 1 गर िगम 1 मुख्य 1 गरपालिका1 1अधिकारी, गर पालिका1/1 गर परिषद 1	60 कार्य दिव1 1

5. अपीलीय अधिकारी 1

क्षेत्र	प्रथम अपीलीय अधिकारी 1	मयावधि	द्वितीय अपीलीय 1 अधिकारी 1	मयावधि
(1) 1	(2) 1	(3) 1	(4) 1	(5) 1
ग्रामीण1 1 क्षेत्र 1 के लिए 1 मुख्य 1 कार्यपाल1 अधिकारी, 1ज1 पद पंचायत 1	अ1ुविभ1 गीय अधिकारी 1 (र1जस्व) 1	30 1 कार्य दिव1 1	कलेक्टर	30 1 कार्य दिव1 1
गरीय 1 क्षेत्र 1 के लिए 1 1 आयुक्त, 1 गर िगम 1 1 मुख्य 1 गर पालिक1 अधिकारी, गर 1 पालिक1/ गर परिषद 1	1 1 कलेक्टर 1 1 अ1ुविभ1 गीय 1 अधिकारी 1 (र1जस्व) 1	1 1 30 1 कार्य दिव1 1 1 30 1 कार्य दिव1 1	1 1 ंभ1 गायुक्त 1 1 कलेक्टर 1	1 1 30 1 कार्य दिव1 1 1 30 1 कार्य दिव1 1

1

6. पें1 स्वीकृत कर1े 1की प्रक्रिय1

6.1 ग्रामीण1 क्षेत्र

6.1. अ वेदक द्व र इ1 1ेवा के1 लिए अ वेद1 पद भिहित अधिक री (मुख्य क र्यप ल1 अधिक री, ज1 पद पंचायत) को11 प्रस्तुत किय जावेग1। 1

1

6. .2 अ वेद पर ग्र म पंच यत 1े अ व1यक प्रतिवेद प्र प्त किय जायेग1। 1

6. .3 अ वेदक द्व र प्रचलित प्रक्रिय अ1ु1 र यदि अ वेद1 पंच यत चिव के1 मक्ष1 ग्र म पंच यत में प्रस्तुत किये ज ते हैं1 तो1 उक्त अ वेद1 क1 परीक्षण1 कर आवेद1 स्वीकृति हेतु1 ंबंधित पद1भिहित अधिक री (मुख्य क र्यपाल1 अधिक री, ज1 पद पंच यत) को11 भेज ज वेगा। इ1 स्थिति में11 मय–1ीम पद भिहित अधिक री के क र्यालय में1आवेद1 पत्र प्र प्त हो11 1की दि1 ांक 1े1प्रारंभ1 होगी। 1

1

6.1.4 1 1 प्रतिवेद 1प्राप्त 1हो11े 1पर 1प्रकरण1 1स्वीकृत/अस्वीकृत 1किय1 ज येगा। स्वीकृति की द1 में1 पें1 र ि क भुगत1 अ वेद1 दि1 ांक 1े1 किय ज येगा और अस्वीकृति की द1 में1 क रण हित स्वस्पष्ट अ दे1 विहित प्र रूप (1 ंलग) में प रित किय जायेगा। यह 1ंपूर्ण1 कार्यवाही अधिकतम 60 दिव1 में1पूर्ण1 होगी।

1

6.1.5 1 1 पें1 क अगले1 म ह 1े1भुगत1 पें1 की ि यमित प्रक्रिय 1े1 होग1। 1

1

1

6.2 1गरीय क्षेत्र

6.2. अ1वेद1 1पद1भिहित 1अधिक1री 1के1 रूप 1में 1अ1युक्त/मुख्य गरप लिक 1अधिक री, 1 गर 1 1गम/1गर 1प लिक /1गर परिषद के11प्रस्तुत किय1 ज1वेग1, उ की तत्क1ल प1वती 1बंधित द्व1र1 दी ज1येगी। 1

6.2.2 अ वेद1 पर कि1 ी अधी1स्थ 1` अ व1यक ज1च प्रतिवेद1 प्र प्त किय1 ज1येग1। 1

6.2.3 1 1प्रतिवेद 1प्र1प्त 1हो11 1 पर 1प्रकरण1 1स्वीकृत/अस्वीकृत 1किय1 ज येग1। स्वीकृति की द1 में1 पें1 र 1 क भुगत1 अ वेद1 दि1 क 1`1 किय ज येग और अस्वीकृति की द1 में 1क1रण1 हित 1स्वस्पष्ट अ दे1 विहित प्र रूप (1 लग) में प रित किय ज1येग1। यह 1पूर्1 क1र्यव1ही अधिकतम 60 दिव1 में1पूर्1 होगी।

6.2.4 1 1 पें1 की प त्रत हो11 1की स्थिति में पें1 र 1 अ वेद -पत्र पंजीय1 हो11 के1 म ह 1`1 स्वीकृत की ज वेगी और र 1 क भुगत1 स्वीकृति अ1दे1 के11 थ1 ही होग 1। 1

6.2.5 पें1 क अगले1 म ह 1`1 भुगत1 पें1 की 1ियमित प्रक्रिय `1 हो ग1। 1

7. 1 अ वेदक को11 उ1 के1 द्व र अ वेद1 प्रस्तुत कर1 1 के11 थ ही उ1` अभिस्वीकृति 1 प्रद1य की ज1वेगी। अभिस्वीकृति क1 प्र1रूप 1 लग है। (परि1 ष्ट-2) 1

8. 1 अधि1 ूचित 1`व अों11 के1 अ वेद1 पंजीय1 कर1 1 हेतु1 मध्यप्रदे1 लोक 1`व अों11 के1 प्रद1 कीग1रंटी (अ1वेद , अपील, पु1 रीक्षण1, 1 स्ति की व1 ूली त1 प्रतिकर क1 भुगत1) अधि1ियम 2010 के1 1ियम-6 में1 1िर्धारित पंजी क 1 ध1रण किय 1 ज1 च हिए। एक ही अ वेद1 को पृथ क-पृथ क पंजीयों11 में1 इन्द्र1ज कर1 अ व1यक 1हीं1 होग1। (परि1 ष्ट-3) 1

9. 1 अ वेद1 पत्र लेते11 मय अ वेदक क1 मोब ईल 1म्बर क1 उल्लेख भी कर य ज वे त1कि अ1व1यकत1 ु1 र उ1` ए1 एमए1 द्व1र1 अलर्ट किय1 ज1 1 के।

0. 1 पद1भिहित अधिक1री द्व1र1 प1त्र हितग्र1हियों11 को पें1 स्वीकृति के1 अ दे1 ज1री कर1 1 के1 पूर्व1 हितग्र1ही के1 1िव1 के1 1िकटतम र1ष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट अ1फि1 1 में1 बचत ख1त1 खुलव1य1 ज1ये1 त1 स्वीकृति अ1दे1 में1 बैंक/पोस्ट अ1फि क1 म एवं1 उ1 क ख1त क्रम1क अंकित कर ज री किय ज ये1। यह क1र्यव1ही पद भिहित अधिक री को11 लोक 1`व प्रद य की ग रंटी अधि1ियम 2010 में1 दी गई 60 दिव1 की तय 1 मय-1ीम1 के भीतर ही कर1 होगी। 1वी1 स्वीकृति अ1दे1 के1 प1च1त्1 हितग्र1ही के1 ख1ते1 में1 प्रथम कि1त के ज1री हो11 1 पर ही पें1 1 स्वीकृति अ1दे1 विधिम1न्य होग1। 1

1 1 यह अ1दे1 दि1 1क 01.04.2013 1` प्रभ1व1ील होग1 1।

1

1

1

(व्ही0के0 ब1थम) 1

चिव 1

म.प्र. 1 1

1 म1जिक न्य1य विभ1ग 1

1

1

पृ.क्रं1 क्रं1 54 / 26–2 / 2013 / भोपाल, दि1 1क 25.04.2013

प्रतिलिपि :– 1

.1 मुख्यमंत्री के1 चिव, मध्य प्रदे1 1 , भोपाल

2.1 मुख्य 1 चिव के 1 चिव, मध्य प्रदे1 1 , भोपाल

3.1 अपर मुख्य 1 चिव, म0प्र0 1 , 1 माजिक न्याय विभ1 ग म0प्र0 भोपाल 1

4.1 बंधित विभ1 गों1 के अपर मुख्य 1 चिव / प्रमुख 1 चिव / 1 चिव, मध्य प्रदे1
, भोपाल 1

5.1 आयुक्त, 1 माजिक न्याय, म0प्र0 भोपाल

6.1 आयुक्त, 1 गरीय प्र1 एवं 1 विक1 विभ1 ग म0प्र0 भोपाल

7.1 आयुक्त, पंचायतीराज 1 चाल1 लय, म0प्र0 भोपाल

1

1

उप सचिव

म0प्र0 शासन

सामाजिक न्याय विभाग

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1